


(स्वाति गुप्ता)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

1.2.24 वकील जार्ज अनुपस्थित। जार्ज स्वयं
अनुपस्थित। बूकि जार्ज - पत्र 212/RTA
से संबंधित मूल कांड का निस्तारण
किया जा चुका है अतः जार्ज।
- पत्र 212/  RTA स्थल: डी

औचित्य होने हो आता है। इसलिसे कार्यना -
-एर में दिनांक 28.12.23 को जारी अध्यादेश
विधेयाशा को निरस्त कलै-इए पठावली
को वर्तमान स्तर पर खारिज किया
जाता है। पठावली नम्बर से काम की
जाकर खास तकमील डारिफिल दफतर
हो।

(^खस्वाति गुलना)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन महायक कलेक्टर
दिल्ली